पत्रांक –3/एम०– 42/2019सा0प्र0 9534 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक
सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 17/7/2019

विषय– **संकल्प ज्ञापांक–2401 दिनांक–18.07.2007 सह–पठित संकल्प ज्ञापांक–12534 दिनांक–17.09.2018 के आलोक में चालकों/कार्यालय परिचारी के मानदेय/पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशनुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2401 दिनांक–18.07.2007 सह–पठित ज्ञापांक–12534 दिनांक– 17.09.2018 द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों के रिक्त पद के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं एवं नियोजन की प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय संसूचित है। उक्त संकल्प ज्ञापांक–12534 दिनांक–17.09.2018 के साथ संलग्न परिशिष्ट–'क' की कंडिका–2 में मानदेय/परिश्रमिक निर्धारण/पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधान है। उक्त कंडिका–2 में संकल्प ज्ञापांक–2401 दिनांक–18.07.2007 में पारिश्रमिक/मानदेय निर्धारण के संबंध में गठित समिति को परिवर्तित करते हुए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है जिसके सदस्य सचिव संबंधित विभाग के सचिव/प्रधान सचिव तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव/प्रधान सचिव एवं वित्त विभाग के सचिव/प्रधान सचिव को सदस्य नामित किया गया है।

2. (i) उपर्युक्त संकल्प के प्रावधान के आलोक में विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर कार्यरत चालकों के मानदेय/पारिश्रमिक के निर्धारण हेतु दिनांक– 27.05.2019 को आहूत बैठक की कार्यवाही सभी विभागों को ज्ञापांक–60 दिनांक–28.05.19 द्वारा परिचारित की गयी है।

उक्त बैठक में सभी विभागों में संविदा के आधार पर कार्यरत चालकों के मानदेय के भुगतान में एकरूपता लाने हेतु दिनांक– 01.06.2019 के प्रभाव से रुपया 20000/– प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

(ii) विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर कार्यरत कार्यालय परिचारी के मानदेय/पारिश्रमिक के निर्धारण हेतु दिनांक– 20.06.2019 को आहूत बैठक की कार्यवाही सभी विभागों को ज्ञापांक–79 दिनांक– 20.06.2019 द्वारा परिचारित की गयी है।

उक्त बैठक में सभी विभागों में संविदा के आधार पर कार्यरत कार्यालय परिचारी के मानदेय के भुगतान में एकरूपता लाने हेतु दिनांक– 01.06.2019 के प्रभाव से मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी के लिए रुपया 18000/– प्रतिमाह एवं नॉन–मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी के लिए रुपया 16000/– प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

4. विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक–27.05.2019 को आहूत बैठक की कार्यवाही एवं दिनांक–20.06.2019 को आहूत बैठक की कार्यवाही क्रमशः ज्ञापांक–60 दिनांक–28.05.2019 एवं ज्ञापांक–79 दिनांक–20.06.2019 द्वारा सभी विभागों को प्रेषित है।

5. अतः सभी विभागों/कार्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत चालकों/कार्यालय परिचारी के मानदेय के भुगतान में एकरूपता लाने हेतु उपर्युक्त बैठक दिनांक–27.05.2019 एवं 20.06.2019 की कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि संकल्प ज्ञापांक–2401 दिनांक–18.07.2007 सह–पठित ज्ञापांक–12534 दिनांक–17.09.2018 के प्रावधानों के आलोक में संविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत चालकों/कार्यालय परिचारियों के मानदेय का पुनर्निर्धारण बैठक की कार्यवाही में की गयी अनुशंसा के अनुरूप करने की कृपा की जाय। उल्लेखनीय है कि प्रासंगिक बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में पुनर्निर्धारित मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान दिनांक– 01.06.2019 के प्रभाव से अनुमान्य होगा।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

15/7/19

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।

(2)

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत चालकों के अलग--अलग मानदेय में समानता लाने के संबंध में दिनांक--27.05.2019 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवाही:--

उपस्थिति:--

1. श्री आमिर सुबहानी, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।
2. श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
3. श्री राहुल सिंह, सचिव वित्त(व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना।
4. श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।
5. श्री प्रेम सिंह मीणा, सचिव, अनु.जाति एवं अनु.जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
6. श्री अरविन्द कुमार चौधरी, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
7. श्री विनय कुमार, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
8. श्री मिथिलेश मिश्र, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, गृह विभाग(कारा), बिहार, पटना।
9. डॉ. डी.के. शुक्ला, प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना।
10. श्री उपेन्द्र नाथ पाण्डेय, विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।
11. श्री उदय कुमार सिंह, अपर सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

कार्यवाही:--

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक--44/वि.आ.गो.को. दिनांक-- 06.05.2019 के आलोक में दिनांक--27.05.2019 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत चालकों के अलग--अलग मानदेय में समानता लाने हेतु बैठक आहूत की गयी।

2. बैठक में पाया गया कि कई कार्यालयों/विभागों द्वारा संविदा चालकों को अलग--अलग मानदेय यथा--₹10,000, ₹14,000, ₹17,392, ₹17,411(BSTDC द्वारा भुगतान) एवं ₹22,885/-- प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है।

3. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ कार्यालयों/विभागों द्वारा इन संविदा चालकों को आवास भत्ता का भी भुगतान किया जा रहा है, जिसके कारण विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत चालकों को अलग--अलग मानदेय प्राप्त हो रहा है।

4. अतः बाजार दर को भी ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरांत संविदा आधारित चालकों को आवास भत्ता का भुगतान नहीं किये जाने एवं अलग--अलग कार्यालय/विभागों में कार्यरत संविदा चालकों के मानदेय के भुगतान में एकरुपता लाने हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत चालकों का मानदेय समेकित रुप से ₹20,000/--(बीस हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह पुनर्निर्धारित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

5. यह मानदेय दर 01 जून, 2019 से सभी विभागों पर प्रभावी होगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(राहुल सिंह) सचिव(व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना।	(आमिर सुबहानी) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।	(डॉ. सुभाष शर्मा) विकास आयुक्त, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— 60 पटना, दिनांक— [illegible]

प्रतिलिपि—अध्यक्ष सह सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, मुख्य सचिव, बिहार, सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ. सुभाष शर्मा)
विकास आयुक्त, बिहार।

कार्यालय परिचारी के मानदेय निर्धारण के संबंध में दिनांक 20.06.2019 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवाही :–

1. **उपस्थिति** – परिशिष्ट–I के रूप में संलग्न।

2. बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यालय परिचारी के मानदेय में संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अन्य विभागों में भी कुछ कार्यालय परिचारी संविदा पर कार्यरत हैं। अतः बाजार दर को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त संविदा आधारित कार्यालय परिचारी को मकान किराया भत्ता का भुगतान नहीं किये जाने तथा एकरूपता लाने हेतु विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कार्यालय परिचारियों हेतु मासिक मानदेय समेकित रूप से 18,000/–(अठारह हजार रुपये) मैट्रिक शिक्षित परिचारी के लिए एवं 16000/– रुपये नॉन–मैट्रिक शिक्षित परिचारी के लिए पुनर्निर्धारित करने की अनुशंसा की जाती है। यह मानदेय दर 01 जून, 2019 से सभी विभागों पर प्रभावी होगी।

(एम. रामचन्द्रुडु), **अपर सचिव,** आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार

(मदन मोहन प्रसाद) **निदेशक (अन्वेषण),** वित्त विभाग, बिहार,

(शिव शंकर मिश्र), **अपर सचिव,** वित्त विभाग, बिहार

(आमिर सुबहानी) **अपर मुख्य सचिव,** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार

(डॉ. सुभाष शर्मा) **विकास आयुक्त, बिहार।**

बिहार सरकार
कार्यालय विकास आयुक्त, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 79. पटना, दिनांक– 20/6/19

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ. सुभाष शर्मा)
विकास आयुक्त, बिहार।